झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
एकदश (बजट)सत्र
वर्ग–03

निम्नांकित तारांकित प्रश्न,बुधवार, दिनांक– 10 फाल्गुन,1944(श0) ----------को 01,मार्च, 2023(ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
37.	ग्राम–06	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	23.02.23
38.	परि–01	श्री विकास कुमार मुण्डा	किराया चार्ट का अनुपालन।	परिवहन	15.02.23
39.	ग्राम्य–09	श्री अमित कुमार यादव	अण्डर पास का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	21.02.23
40.	ग्राम–16	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मानदेय/वेतन देना।	ग्रामीण विकास	23.02.23
41.	पथ–11	श्री किशुन कुमार दास	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	23.02.23
42.	ग्राम–08	श्री राजेश कच्छप	आवासों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	23.02.23
43.	ग्राम्य–10	श्री मंगल कालिन्दी	सड़क का चौड़ीकरण।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
44.	पंचा–02	श्री किशुन कुमार दास	चुनाव कराना।	पंचायती राज	23.02.23
45.	पथ–10	श्री राजेश कच्छप	पुनर्वास कराना।	पथ निर्माण	23.02.23
46.	पथ–06	श्री रामचन्द्र चंद्रवंशी	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	23.02.23
47.	ग्राम–22	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	23.02.23
48	भ–03	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	भवन का निर्माण।	भवन निर्माण	23.02.23

क्र0पृ030/–

01	02	03	04	05	06
49.	न–09	श्री लोबिन हेम्ब्रम	कदम उठाना।	नगर विकास एवं आवास	23.02.23
50.	ग्राम्य–02	श्री कोचे मुण्डा	सड़क का मरम्मतिकरण।	ग्रामीण कार्य	21.02.23
51.	ग्राम–13	श्री मथुरा प्रसाद महतो	प्रखण्ड का निर्माण	ग्रामीण विकास	23.02.23
52.	ग्राम्य–01	श्री विनोद कुमार सिंह	सड़क से जोड़ना।	ग्रामीण कार्य	15.02.23
53.	पथ–03	डॉ0 नीरा यादव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	21.02.23
54.	ग्राम्य–15	श्री उमाशंकर अकेला	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
55.	परि–03	श्री सुदिव्य कुमार	ड्राइविंग केन्द्र प्रारंभ करना।	परिवहन	23.02.23
56.	ग्राम्य–27	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पथ निर्माण की स्वीकृति।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
57.	न–10	श्री मनीष जायसवाल	भूमि उपलब्ध कराना।	नगर विकास एवं आवास	23.02.23
58.	न–02	श्री अमर कुमार बाउरी	दैनिक कर्मियों का नियमितिकरण।	नगर विकास एवं आवास	21.02.23
59.	न–03	श्री अमित कुमार मंडल	कार्रवाई करना।	नगर विकास एवं आवास	21.02.23
60.	पंचा–03	श्री अनंत कुमार ओझा	योजना पूरा कराना।	पंचायती राज	23.02.23
61.	पंचा–01	श्री मथुरा प्रसाद महतो	पंचायत भवन का निर्माण।	पंचायती राज	21.02.23
62.	ग्राम–15	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मानदेय देना।	ग्रामीण विकास	23.02.23
63.	पथ–19	श्री रणधीर कुमार सिंह	कार्य पूर्ण कराना।	पथ निर्माण	23.02.23
64.	पथ–21	श्री रामचन्द्र सिंह	स्वीकृति प्रदान करना।	पथ निर्माण	23.02.23
65.	न–05	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पानी निकासी का उचित प्रबंधन।	नगर विकास एवं आवास	23.02.23
66.	न–07	श्री मनीष जायसवाल	अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनाना।	नगर विकास एवं आवास	23.02.23
67.	पथ–01	श्री केदार हजरा	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	21.02.23
68.	ग्राम्य–25	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	पुल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
69.	पथ–18	श्री रणधीर कुमार सिंह	कार्य पूर्ण कराना।	पथ निर्माण	23.02.23
70.	न–08	श्री ढुलू महतो	कार्रवाई करना।	नगर विकास एवं आवास	23.02.23
71.	ग्राम–18	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	23.02.23
72.	ग्राम–01	श्री विकास कुमार मुण्डा	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	15.02.23
73.	ग्राम–17	श्री दशरथ गागराई	कार्यकारी एजेंसी चालू करना।	ग्रामीण विकास	23.02.23
74.	न–06	डॉ0 इरफान अंसारी	लाईट लगाना।	नगर विकास एवं आवास	23.02.23
75.	ग्राम्य–22	श्री दिनेश विलियम मराण्डी	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	23.02.23

01	02	03	04	05	06
76.	भ–02	श्री उमाशंकर अकेला	कार्रवाई करना।	भवन निर्माण	23.02.23
77.	ग्राम्य–03	श्री कोचे मुण्डा	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	21.02.23
78.	पथ–02	श्री भानु प्रताप शाही	मुआवजा का भुगतान।	पथ निर्माण	21.02.23
79.	ग्राम–02	श्री अमर कुमार बाउरी	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	15.02.23
80.	ग्राम्य–08	श्री समीर कुमार मोहन्ती	योजना प्रारंभ करना।	ग्रामीण कार्य	21.02.23
81.	पथ–08	श्री जिगा सुसारण होरो	मुआवजा का भुगतान।	पथ निर्माण	23.02.23
82.	पथ–16	डॉ0 लम्बोदर महतो	पथों का निर्माण।	पथ निर्माण	23.02.23
83.	ग्राम–19	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	जाँच कराना।	ग्रामीण विकास	23.02.23
84.	पथ–12	श्री दुलू महतो	फ्लाई ओवर की मरम्मति।	पथ निर्माण	23.02.23
85.	ग्राम–12	श्री अनंत कुमार ओझा	मजदूरी का भुगतान।	ग्रामीण विकास	23.02.23
86.	पथ–07	श्री रामचंद्र चन्द्रवंशी	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	23.02.23
87.	पथ–26	श्री सोनाराम सिंकू	अधुरे पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	23.02.23
88.	ग्राम–14	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	राशि का भुगतान।	ग्रामीण विकास	23.02.23
89.	परि–02	श्री भानु प्रताप शाही	ड्राइविंग लाइसेंस बनाना।	परिवहन	23.02.23
90.	ग्राम्य–24	श्री दशरथ गागराई	योजना पूर्ण कराना।	ग्रामीण कार्य	23.02.23
91.	ग्राम–05	श्री मंगल कालिन्दी	प्रखण्ड बनाना।	ग्रामीण विकास	23.02.23
92.	न–01	डॉ0 नीरा यादव	होलिडंग टैक्स में सुधार।	नगर विकास एवं आवास	20.02.23
93.	भ–01	श्री अमित कुमार मंडल	अस्पताल का जीर्णोद्धार।	भवन निर्माण	21.02.23

राँची,
दिनांक–01 मार्च,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–(प्रश्न)–04/2020–653/वि0स0,राँची,दिनांक– 27/02/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रवि 27.02.23

(रवि शंकर प्रसाद)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–(प्रश्न)–04/2020–653/वि0स0,राँची,दिनांक– 27/02/23

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 27.02.23

अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–(प्रश्न)–04/2020–653/वि0स0,राँची,दिनांक– 27/02/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन समिति/शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 27.02.23

37

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी विधानसभा अधिवेशन में दिनांकः 01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न ग्राम–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी प्रखण्ड के सुड़ी पंचायत अन्तर्गत नहर पूल से गोगाड़ सिवाना तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में जेसीबी से कार्य कराने के कारण उपायुक्त, पलामू के निर्देश पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाँकी के द्वारा उक्त पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, संबंधित अभियंताओं, मेट जेसीबी मालिक एवं चालक पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पंचायत के मुखिया के द्वारा पूर्व में भी नियम–कानून को ताक पर रखकर "मनरेगा" की योजनाओं में मशीन के द्वारा कार्य कराकर गरीब मजदूरों का रोजगार छीना गया है;	अस्वीकारात्मक है। उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू का पत्रांकः 201 दिनांकः 25.02.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी, पलामू के माध्यम से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है और न ही उनके स्तर पर इस प्रकार का कोई मामला निष्पादन हेतु लंबित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पंचायत के मुखिया पर "मनरेगा" योजना में भ्रष्टाचार करने के कारण (दोषी पर) कानूनी कार्रवाई करने के साथ–साथ मुखिया को प्राप्त वित्तीय शक्तियाँ विलोपित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 के संदर्भ में उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू का पत्रांकः 201 दिनांकः 25.02.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–02/आरोप (वि०स०प्र०/पलामू)–30/2023 923, /राँची, दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांकः 278/वि०स० दिनांकः 23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023
(शैल प्रभा कुजूर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–02/आरोप (वि०स०प्र०/पलामू)–30/2023 923, /राँची, दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–02/आरोप (वि०स०प्र०/पलामू)–30/2023 923, /राँची, दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– विधायी शाखा (प्रशाखा–03), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को विषयगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
28/02/23

38

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या परि–01 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि परिवहन विभाग द्वारा निजी गाड़ियों/बसों का यात्रियों से किराया वसुलने का एक दर एवं एक निश्चित लोड क्षमता को तय किया गया है;	–	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०–387, दिनांक–11.03.2008 द्वारा लोक सवारी गाड़ियों (बसों) के लिए भाड़े का निर्धारण किया गया है। वाहनों के लोड क्षमता का निर्धारण मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 तथा झारखण्ड मोटरवाहन करारोपन अधिनियम, 2001 (यथा अद्यतन संशोधित) में वर्णित प्रावधान के अनुसार तय किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि निजी बसों अथवा अन्य निजी किराया गाड़ियों में सरकार द्वारा तय किया गया शुल्क का कोई चार्ट अनिवार्य रूप से लगाया नहीं जाता है जिसके कारण सरकार का दर आम लोगों को पता नहीं चल पाता है;	–	निजी बसों अथवा अन्य निजी किराया गाड़ियों में सरकार द्वारा तय किया गया शुल्क का चार्ट लगाया जाना है। यदि कोई वाहन पर चार्ट नहीं लगाया जाएगा तो विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि लोगों को जानकारी के अभाव एवं सरकार द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाने के कारण निजी वाहन मालिक ना सिर्फ अपने गाड़ियों में ओवरलोडिंग करते है बल्कि यात्रियों से अत्यधिक किराया भी वसूलते है;	–	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गाड़ियों में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने हेतु सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा नियमित कार्रवाई की जाती है तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194(1), 194(1A) एवं 194(A) के अंतर्गत अर्थदण्ड वसूली जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार आवश्यक रूप से किराया चार्ट, यात्री लोडिंग क्षमता एवं शिकायत साधन को बनाते हुए इन सबों की जानकारी को निजी किराया वाहनों में चार्ट के रूप में लगवाने एवं सख्ती से अनुपालन करवाने के साथ यात्रियों की शिकायतों को उचित तरीके से निष्पादन करने के कार्य को प्रारंभ करने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। राज्य सरकार यात्रियों की सुविधा, शिकायतों का उचित तरीके से निष्पादन एवं यात्री वाहन में किराया चार्ट लगवाने के लिए कृत संकल्पित है। यात्री वाहनों के भाड़ा की दर पुनरीक्षित एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

27/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०प्र०)–11/2023 243 /राँची,दिनांक 27.02.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–30, दिनांक–15.02.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

39

श्री अमित कुमार यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"ग्राम्य–09" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा दिल्ली से कोलकाता तक हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें घनी आबादी बाहुल क्षेत्रों में ट्रैक के दोनों ओर पूर्ण रूप से घेराबंदी की जा रही है, जिससे हजारीबाग जिला अन्तर्गत चलकुशा प्रखण्ड के ऋकी मस्केडीह, कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के गड़गी, धरौजा, गोहल (पॉलिटेक्निक कॉलेज) यदुवाडीह से पीसपीरो, हीरोडीह से रेभनाडीह, कंद्रपडीह उत्तरी टोला से दक्षिणी टोला, पहाड़पुर उत्तरी टोला से दक्षिणी टोला आदि मार्गों में जो आर0डब्ल्यू0डी0 की सड़के है, में दोनों तरफ घेराबंदी होने से आवागमन पूर्णतः अवरूद्ध होगा ; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उपरोक्त मार्गो सहित राज्य के सभी सड़कें जहाँ जहाँ हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक का निर्माण हो रहा है वैसे स्थानों पर आवागमन हेतु अंडरपास मार्ग का निर्माण कराएगी, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय सदस्य की भावना के मद्देनजर रेलवे से यह जानकारी हेतु अनुरोध किया गया है कि हाई स्पीड ट्रेन परिचालन हेतु ट्रैक की घेराबंदी के आलोक में प्रश्नगत स्थानों पर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए क्या कार्रवाई एवं प्रावधान किया गया है ? रेलवे के प्रतिवेदन के पश्चात् अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–22/2023 (बजट) सत्र 1033(S) राँची/दिनांकः 28/02/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–128, दिनांक–21.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीता 28/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–22/2023 (बजट) सत्र 1033(S) राँची/दिनांकः 28/02/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीता 28/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–22/2023 (बजट) सत्र 1033(S) राँची/दिनांक : 28/02/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीता 28/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(40)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक –01.03.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–16 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>तारांकित प्रश्न</th><th>उत्तरदाता
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि IPRP/IBAP CLF के ग्रामीण VOLUNTEER/सामुदायिक कैडर है जिनको मानदेय एवं अन्य भत्ता संकुल स्तरीय संगठन के द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है?</td><td><u>स्वीकारात्मक</u>
दैनिक कार्य के आधार पर इनका मासिक भुगतान किया जाता है।।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि DAY NRLM कार्यक्रम के प्रावधान के अनुसार IPRP/IBAP सामुदायिक प्रशिक्षकों का मानदेय प्रतिकार्य दिवस 500 एवं 750 रुपये प्रतिकार्य दिवस है, जबकि इनका कार्यक्षेत्र JSLPS के कर्मचारियों के ही अनुरुप है लेकिन मानदेय/वेतन में एकरुपता नहीं होने के कारण इन्हे जीविकोपार्जन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि मैट्रिक पास IPRP को 16,000 एवं इंटर पास IBAP को 23,000 मासिक दिया जाता है जो कि एक ग्रामीण VOLUNTEER/सामुदायिक कैडर के लिए उचित है।
<table>
<tr><th>ग्रामीण volunteers (सामुदायिक कैडर) का प्रकार</th><th>मानदेय दर</th><th>CLF द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (प्रतिमाह अधिकतम 26 दिन हेतु)</th><th>क्षेत्र भ्रमण हेतु भत्ता (प्रतिमाह)</th><th>मोबाईल खर्च भत्ता (प्रतिमाह)</th><th>कुल (प्रतिमाह)</th></tr>
<tr><td>IPRP</td><td>Rs 500 (प्रति कार्य दिवस)</td><td>Rs 13,000</td><td>Rs 2000</td><td>Rs 1000</td><td>Rs 16,000</td></tr>
<tr><td>IBAP</td><td>Rs 750 (प्रति कार्य दिवस)</td><td>Rs 19,500</td><td>Rs 2500</td><td>Rs 1000</td><td>Rs 23,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार IPRP/IBAP सामुदायिक प्रशिक्षकों को JSLPS के कर्मचारी के समतुल्य मानते हुये JSLPS के कर्मचारियों के ही अनुरुप मानदेय/वेतन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?</td><td>केंद्रीय योजना DAY-NRLM के अंतर्गत IPRP/IBAP को सामुदायिक कैडर के तौर पर रखा गया है जिसके संबंध में केंद्र सरकार का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि ये सभी सामुदायिक संस्थाओं के अधीन उनके कैडर के रूप में कार्य करेंगे। चूँकि ये सभी सामुदायिक संस्थाओं के अधीनस्थ उनके कैडर है अतः भारत सरकार द्वारा तय सिद्धांतों के विरुद्ध इन्हें JSLPS के कर्मी के समतुल्य नहीं माना जा सकता। केंद्र से हाल ही में कैडरों का मानदेय भुगतान उनके संबंधित सामुदायिक संस्थाओं द्वारा अपने आय के अनुरूप तय करने तथा भुगतान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
उपर्युक्त से स्पष्ट है कि DAY–NRLM योजना के तहत् अन्य सभी कैडरों के तुलना में इन्हें प्राप्त हो रहा मानदेय सबसे ज्यादा सम्मानजनक है।</td></tr>
</table>

28/02/2023
(अरुण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/ SM&IB / 2023 / 143 / 458 दिनांक– 28/02/2023
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–327 दिनांक–23.02.2023 के आलोग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/ SM&IB / 2023 / 143 / 458 दिनांक– 28/02/2023
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/ SM&IB / 2023 / 143 / 458 दिनांक– 28/02/2023
प्रतिलिपिः–विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

(A1)

श्री किशुन कुमार दास, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–11" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के मयूरहंड प्रखंड के तेतरिया मोड़ से मयूरहंड तक पथ की स्थिति काफी जर्जर है ; 2. क्या यह बात सही है कि पथ मुख्य सड़क से प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है जिसकी निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से कराया गया था ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अति महत्वपूर्ण सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से स्थानांतरित करते हुए पथ निर्माण विभाग से सड़क निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2023(बजट) सत्र 1016(S) राँची/दिनांक 27/02/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–307, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2023 (बजट) सत्र 1016(S) राँची/दिनांक 27/02/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2023 (बजट) सत्र 1016(S) राँची/दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

42

श्री राजेश कच्छप, मा॰स॰वि॰स॰ द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न ग्राम–08 का उत्तरः–

क्र॰	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नगर निगम के अधीन वार्ड सं॰–12, सामलौंग–लोवाडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल–III के तहत् स्वीकृत आवासों का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित आवासों के निर्माण संबंधी NOC भी मिल चुकी है तथा आवास का ROR में ONLINE प्रविष्टि भी हो चुका है।	परियोजना हेतु चिन्हित भूमि आवास निर्माण के योग्य नहीं होने के कारण भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उपर्युक्त भूमि उपलब्ध होने पर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी AHP परियोजना हेतु संभावित लाभुकों के चयन हेतु प्रचार–प्रसार करते हुए लाभुक की सहमति प्राप्त किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित विषय की गंभीरता को देखते हुए आवासों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–03/वि॰स॰/तारांकित/ग्राम–08/03/2023/न॰वि॰ –859, राँची दिनांकः–28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–284 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव।

Vinay -Sec-3 & R Letter-425

43

माननीय श्री मंगल कालिन्दी, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ता0प्र0–ग्राम्य–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर प्रखण्ड में धोबी मोड़ (टेल्को) से बड़ा बांकी–एन0एच0–33 तक सड़क काफी धुमावदार एवं संकरा है; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, जमशेदपुर जिलान्तर्गत धोबीघाट (टेल्को)–बाराबांकी (NH-33 पर) (लंबाई–7.8 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तानातंरित करते हुए वर्ष 2018–19 में पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है। यह पथ टेल्को धोबीघाट से प्रारंभ होकर बाराबांकी में NH-33 को सम्पर्क करता है। जो ग्रामीण क्षेत्र से गुजरने के कारण काफी घुमावदार है। पथ को 5.50 मी0 चौड़ाई (Intermediate Lane) के लिए निर्माण किया गया है परन्तु ग्रामीण अंश में पथ की चौड़ाई 4.50 मीटर है। मान्नीय सदस्य की भावना के मद्देनजर पथ के घुमावदार एवं सकरे अंश के समाधान एवं विकल्प हेतु सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study) कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–21/2023 (बजट) सत्र 1032(5) राँची/दिनांक 28/2/23

प्रतिलिपि :–श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–295, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 28/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–21/2023 (बजट) सत्र 1032(5) राँची/दिनांक :– 28/2/23

प्रतिलिपि :–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 28/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–21/2023 (बजट) सत्र 1032(5) राँची/दिनांक :– 28/2/23

प्रतिलिपि :–मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 28/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

44

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पंचा–02 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा प्रखण्ड के बचरा उत्तरी पंचायत एवं बचरा दक्षिणी पंचायत को मिलाकर नगर पंचायत बनाया गया था;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत बन जाने के कारण 2021 में हुए पंचायत चुनाव में दोनों पंचायत में चुनाव नहीं कराया गया एवं वर्तमान समय में सरकार द्वारा नगर पंचायत के गठन को रद्द कर बचरा उत्तरी पंचायत एवं बचरा दक्षिणी पंचायत को पंचायत बना दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या 3505 दिनांक 07.10.2022 द्वारा नगर पंचायत बचरा को विघटित कर दिया गया है।
(3) क्या यह बात सही है कि पंचायत चुनाव नहीं होने से इन दोनों पंचायतों में 14वें वित्त एवं 15वें वित्त की राशि नहीं मिल पा रही है एवं विकास कार्य पूर्णरूपेण बन्द है;	स्वीकारात्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस क्षेत्र के विकास हित में बचरा उत्तरी पंचायत एवं दक्षिणी पंचायत में पंचायत चुनाव कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक 91 दिनांक 25.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :– (i) नगर पंचायत के पुर्नगठन की कार्रवाई की जा रही है। (ii) राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश पर पंचायत चुनाव कराया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–16/2023—421—/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 273 दिनांक 23.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–16/2023—421—/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–16/2023—421—/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल / 27.02.2023

E:/Anil Office work/Assembly related/Assembly questin Answer.doc

(215)

श्री राजेश कच्छप, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–10" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि Financial year 2021-22 में विभाग द्वारा 130 से 150 KM. लम्बाई की Ranchi Outer Ring Road, RORR की योजना तैयार की गयी है ; 2. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित Ring Road से बहुत बड़ी आबादी जिसमें अधिकांश ST & OBC समुदाय से है प्रभावित होगी तथा इस संदर्भ में सरकार के पास केवल Compensation को छोड़ Rehabilitation & Re-establishment की कोई नीति ही नही है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–2 में वर्णित (केवल) मुआवजा देने से पहले पुनर्वास व पुर्नस्थापन किये जाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह Circumferential Ranchi bypass के नाम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की प्रस्तावित योजना है। वर्तमान में मात्र Field Survey/Detailled Engineering कार्य को मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के Annual Plan में स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके लिये परामर्शी चयन हेतु कार्रवाई की जा रही है। परियोजना का सर्वेक्षण होने के बाद आये आंकड़े के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई होगी।

ज्ञापांक: प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10 / 2023(बजट) सत्र 1017(S) राँची / दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–297, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10 / 2023 (बजट) सत्र 1017(S) राँची / दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10 / 2023 (बजट) सत्र 1017(S) राँची / दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली / मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–06" का उत्तर प्रतिवेदन :– 46

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम लालगंढ एवं पंजरी कला ग्राम के बीचोबीच रेलवे लाईन गुजरती है ; 2. क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष सैंकड़ो जानवर तथा आदमी को पार पथ नहीं होने के कारण जान गंवानी पड़ती है ; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त पार–पथ हेतु स्थानीय प्रभावित ग्रामीणों द्वारा अनेक आन्दोलन किये गए हैं तथा उपायुक्त, पलामू के ज्ञापांक 1881 दिनांक–4.12.2020 तथा सीनीयर डीवीजन इस्टर्न रेलवे धनबाद द्वारा पत्रांक सं0 W.515/1/UTC दिनांक – 7.02.2020 द्वारा झारखंड सरकार से पार–पथ का निर्माण हेतु आधा खर्च देने का आग्रह किया गया है, परन्तु अब तक का कोई कार्रवाई नहीं हुई है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पार–पथ निर्माण का आधा खर्च वहन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिलान्तर्गत, लालगढ़ से ब्रहमोरिया के बीच ग्रामीण कार्य विभाग की पथ है। लालगढ़ एवं पंजरी कला ग्राम के बीच अस्थाई/अवैध रूप से रेलवे क्रॉसिंग बना हुआ है, जिसे रेलवे द्वारा आर0सी0सी0 पोल से अवरूद्ध किया गया है। जहां तक Sharing of Cost का प्रश्न है। रेल मंत्रालय के अनुसार ट्रैफिक घनत्व एक लाख TUV (Train Vehicle Unit) से अधिक होने पर हीं Sharing of Cost का प्रावधान है। रेलवे द्वारा उक्त क्रॉसिंग की मान्यता नही है, अतएव रेलवे के पास ट्रैफिक घनत्व संबंधी आंकड़ा नही है। रेलवे द्वारा Level Crossing स्थापित करने तथा ट्रैफिक घनत्व का मापदण्ड पूर्ण होने की अवस्था में Sharing of Cost पर विचार किया जा सकेगा। उक्त सन्दर्भ में कार्रवाई एवं प्रस्ताव हेतु DRM, Dhanbad से अनुरोध किया गया है।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06/2023(बजट) सत्र 1021(S) राँची/दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–299, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06/2023 (बजट) सत्र 1021(S) राँची/दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–06/2023 (बजट) सत्र 1021(S) राँची/दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(47)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–22

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड के ग्राम–चियांकी से दोकरा के बीच कोयल नदी पर पुल नहीं रहने के कारण ग्राम–दोकरा, चान्दों, सोकरा बससरिया आदि गाँव का शहर सम्पर्क चियांकी डालटनगंज से नहीं जोड़ा जा सका है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के ग्रामीणों को वर्षा के दिनों में पुल के अभाव में काफी दूरी तय कर चैनपुर प्रखण्ड होते हुए डालटनगंज आना–जाना पड़ता है, जिससे शहर के सम्पर्क की दूरी अधिक हो जाती है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त कोयल नदी पर पुल का निर्माण कर दिया जाता है, तो यहाँ के सैकड़ों ग्रामीणों को राँची रोजगार तथा चिकित्सा को लेकर आवागमन की दूरी कम हो जाएगी तथा ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चियांकी–दोकरा के बीच पड़ने वाले कोयल नदी पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में माननीय स0वि0स0 के अनुशंसा के आलोक में कुल 02 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं दो अन्य पुल निर्माण योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा चुका है। माननीय स0वि0स0 से प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पुल की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–33/2023/ग्रा0का0वि0 667 राँची, दिनांक– 28–02–2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–329 वि0स0 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन कुल 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–33/2023/ग्रा0का0वि0 667 राँची, दिनांक– 28–02–2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–33/2023/ग्रा0का0वि0 667 राँची, दिनांक– 28–02–2023

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(49)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या न०–09 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में म्युनिसिपल एक्सटेंशन मेशा का आज तक विस्तार नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मेशा से संबंधित कानून आज तक सांसद से पारित ही नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित जब मेशा एकट पारित ही नहीं हुआ है तो फिर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पर्षद व नगर पंचायत का चुनाव असंवैधानिक ही नहीं, अपितु भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन मानी जाएगी;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में नगरपालिका निर्वाचन झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की सुसंगत धाराओं एवं तदानुरूप में अधिसूचित झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित विषय पर संज्ञान लेते हुए राज्यहित में कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05 / वि०मं०प्र०(ता०)–02 / 2023 न०वि०आ० 837 राँची, दिनांक–28/02/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–344 / वि०स० दिनांक–23.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव।

(50)

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत खूँटी सिमडेगा मुख्य पथ में कतारी मोड़ से कुमांग तक करीब 15 कि0मी0 सड़क जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के जर्जर होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को आने–जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ग्रामीण पथों की मरम्मति/विशेष मरम्मति हेतु विभागीय नीति संसूचित है। उक्त के आलोक में चरणबद्ध तरीके से अर्हक पथों का चयन करते हुए विशेष मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी संबंधित अभियंताओं से किया गया है। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत बजटीय उपबंध के आलोक में संबंधित पथों की मरम्मति की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–226/2023 ग्रा0का0वि0.....668.....राँची, दिनांक.28–02–2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–125 दिनांक–21.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–226/2023 ग्रा0का0वि0.....668.....राँची, दिनांक.28–02–2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–226/2023 ग्रा0का0वि0.....668.....राँची, दिनांक.28–02–2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(51)

दिनांक–01.03.2023 के लिए श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–013

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चन्दनकियारी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चन्दनकियारी प्रखण्ड जिले का बड़ा प्रखण्ड है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड मुख्यालय चन्दनकियारी होने के कारण सुदूर क्षेत्र यथा–भोजुडीह पूर्वी, भोजुडीह पश्चिमी, शिव बाबुडीह, मोहाल पूर्वी, मोहाल पश्चिमी, अमलाबाद, सिलफोड़, सियारजोरी, देवग्राम, नयावन एवं बाट बिनोर पंचायत के ग्रामीणों को प्रखण्ड मुख्यालय के कार्यों हेतु बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित पंचातयों के ग्रामीणों को प्रखण्ड मुख्यालय संबंधित कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में खण्ड–2 में वर्णित कुल 11 पंचायतों को मिलाकर एक नया प्रखण्ड अमलाबाद के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन नया प्रखण्ड सृजन हेतु पंचायतों की सख्यां–11 है, जो विभागीय संकल्प सं0–5495 दिनांक–16.10.2015 द्वारा प्रखण्ड सृजन की निहित मापदण्ड एवं प्रक्रिया के तहत पंचायत की संख्या कम–से–कम 18 की अर्हता को पूर्ण नहीं करता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–49 / 2022 / ग्रा0वि0 940, राँची, दिनांक– 28·02-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–280 दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–49 / 2022 / ग्रा0वि0 940, राँची, दिनांक– 28-02-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–49 / 2022 / ग्रा0वि0 940, राँची, दिनांक– 28-02-2023

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड में दूधियानो, तुल्सीटांड़, नावाडीह, निमासिंघा, हरिहरपुर, खरखुँदो, जमुनियाटांड़, बराय दलित टोला, मॅझलाडीह, मिस्त्री टोला, रोहनियाबेड़ा, रतनपुरा सरिया प्रखण्ड में डुमरियाटांड़, सर्वोदय आश्रम, भोलपहरी, जमुनिया, कारिपहरी, कोडाडीह, परसबनी, दुर्गी, भभकीटांड़, घुठियापेसरा, दलित टोला, भेलवाटांड़ और बगोदर प्रखण्ड में अखेना, गैडाही, पिपराटांड़, पूर्णिटांड़, तरानारी दलित/चौकीदार टोला, खैरागाढा, खेतको दलित टोला, बेको कुम्हार टोला सड़क से वंचित है, जिसकी आबादी 250 से ज्यादा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त तथ्य सत्य है, तो, क्या सरकार उपरोक्त ग्राम/टोला को 2023 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–6 पथों (कुल लम्बाई–17.160 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं कुल–3 पथ (लं0–9.580 कि0मी0) प्रक्रियाधीन हैं। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–767/स्वी0, दिनांक–04.02.2023 द्वारा घुटिया पेसरा को जोड़ने वाली सड़क घुटिया पेसरा से मेघाटाँड़ भाया बिंद (लं0–8.20 कि0मी0) तक पथ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नाधीन पथों की मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–209/2023 ग्रा0का0वि0 642 राँची, दिनांक 27-02-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–29 दिनांक–15.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–209/2023 ग्रा0का0वि0 642 राँची, दिनांक 27-02-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–209/2023 ग्रा0का0वि0 642 राँची, दिनांक 27-02-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ0 नीरा यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–03" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत ढोढाकोला सपही फगुनी पथ के निर्माण हेतु वर्ष– 2019 में संवेदक और विभाग के मध्य एकरारनामा हुआ था, जिसका निर्माण कार्य अभी तक मात्र 5% हुई और पथ को जीणशीर्ण स्थिति में यथावत रखी गई है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पथ के निर्माण के दौरान पूरे पथ को विखंडित कर देने का कारण आए दिन अप्रत्याशित घटनाएं होती है तथा पथ के निर्माण हेतु Forest Clearance नहीं मिलने के कारण पथ के निर्माण में विलम्ब हो रही है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पथ के निर्माण हेतु अविलम्ब Forest Clearance दिलाकर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत् पथ, डोमचांच–ढोड़ाकोला–सपही–फगुनी (लम्बाई–14.50 कि0मी0) पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व का पथ है, जो Single lane (Carriage way width-3.75 mtr.) है। पथ को Double lane (Carriage way width- 7.0 mtr.) में पुनर्निर्माण हेतु वर्ष –2018 में विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। पथ का 10.50 कि0मी0 पथांश वन भूमि से आच्छादित है। वन भूमि अपयोजन हेतु विधिवत् प्रस्ताव समर्पित है। वन विभाग से प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार चार में से तीन ग्राम सभा आयोजित की जा चूकी है, चौथी ग्राम सभा हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वन विभाग की अनापत्ति के पश्चात् परियोजना कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–03/2023 (बजट) सत्र 1022(5) राँची/दिनांक 27/02/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–175, दिनांक–21.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–03/2023 (बजट) सत्र 1022(5) राँची/दिनांक :27/02/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–03/2023 (बजट) सत्र 1022(5) राँची/दिनांक 27/02/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(54)

दिनांक–01.03.2023 को मा0स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	मा0स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड के रानीचुआ पंचायत के पिड़वा, परसातरी, नरसिंघवा तथा धोवधट से ग्राम जीतपुर तक लगभग 12 कि0मी0 सड़क का निर्माण नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चारों ग्राम में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लोग रहते है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वहाँ न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, न ही आने–जाने की व्यवस्था है जिसके कारण महिलाओं को प्रसव की जरूरत होने पर चारपाई पर टाँग कर पहाड़ से नीचे उतारा जाता है तब बरही अस्पताल आना पड़ता है तथा कभी–कभार अत्याधिक दूरी होने से प्रसूती महिला की जान भी चली जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार सड़क निर्माण कराना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पथ की कुल लंबाई–12.00 कि0मी0 है, जिसका 90% पथांश वन भूमि क्षेत्र में पड़ता है। प्रश्नाधीन पथ के संबंध में वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–243 / 23 ग्रा0का0वि0 ....660..... राँची / दिनांक–28–02–2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–287 वि0स0, दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–243 / 23 ग्रा0का0वि0 660..... राँची / दिनांक–28–02–2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–243 / 23 ग्रा0का0वि0 660..... राँची / दिनांक–28–02–2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

55

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या परि–03 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता *श्री सुदिव्य कुमार,* माननीय स०वि०स०		*उत्तरदाता* *श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री,* परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	*क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जिला मुख्यालय में सरकारी मोटर वाहन ड्राईविंग केन्द्र प्रारम्भ करने संबंधी नीतिगत् निर्णय लिया गया है;*	–	स्वीकारात्मक।
2	*क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र हेतु गिरिडीह जिले में अबतक भूमि का चयन नहीं किया जा सका है;*	–	स्वीकारात्मक।
3	*यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह सदर प्रखण्ड में सरकारी मोटर वाहन ड्राईविंग केन्द्र प्रारम्भ करने हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में सरकारी वाहन ड्राईविंग केन्द्र प्रारम्भ करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?*	–	सक्षम प्राधिकार से गिरिडीह जिला से सरकारी मोटरवाहन ड्राईविंग केन्द्र निर्माण हेतु भूमि चयन/अधिग्रहण संबंधी संसूचन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध बजटीय उपबंध के सापेक्ष अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

27/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०प्र०)–13/2023 241 /राँची,दिनांक 27.02.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–337, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

(56)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1.क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत आनेवाले भण्डरिया, डालटनगंज–भण्डरिया निर्वाचन क्षेत्र नव–सृजित प्रखण्ड–बड़गड़ के ग्राम–टेहड़ी से दुबयाटी होते हुए सरूवत तक पथ का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है;	स्वीकारात्मक।
2.क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में उल्लेखित पथ 15 कि0मी0 है जिसके बन जाने से यहाँ अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) बाहुल्य क्षेत्र के विकास को गति पदान कर सकती है;	स्वीकारात्मक।
3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नव–सृजित प्रखण्ड बड़गड़ के ग्राम–टेहड़ी से दुबयाटी तक पथ निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–9 पथों (कुल लं0–17.975 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नाधीन पथ की कुल लंबाई 13.00 कि0मी0 है जिसमें 6.00 कि0मी0 वन भूमि है, अतः वन विभाग की अनापत्ति अपेक्षित है। उक्त पथ के संबंध में मा0स0वि0स0 से प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा प्राप्त होने तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–240/23 ग्रामीण कार्य विभाग.....669.....राँची, दिनांक.28–02–2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञापांक–333, दिनांक–23.02.23 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–240/23 ग्रामीण कार्य विभाग.....669.....राँची, दिनांक.28–02–2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–240/22 ग्रामीण कार्य विभाग.....669.....राँची, दिनांक.28–02–2023

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री मनीष जयसवाल, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या न०–10 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, चंडीगढ़ एवं गाजियाबाद क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों के तर्ज पर बिहार सरकार भी लोगों को बाजार–दर से सस्ते दर पर नीलामी एवं लॉटरी के माध्यम से जमीन आवंटित करने का निर्णय ली है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बिहार राज्य आवास बोर्ड के वेबसाईट www.bshb.bihar.gov.in पर भूखण्डों की ई–निलामी हेतु सूचना प्रकाशित है।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, राँची सहित राज्य के कई जिलों में सरकारी पदाधिकारियों की लापरवाही से अबतक लगभग 01 लाख एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है या उक्त भूमि को भू–माफियाओं द्वारा बेच दी गई है ;	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–785 दि०–27.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है:– आंशिक स्वीकारात्मक। माह जनवरी, 2023 तक झारखण्ड राज्य में राज्य के सभी उपायुक्तों द्वारा प्रतिवेदनानुसार समेकित रूप से तकरीबन 1,68,679 मामले, जो लगभग 3,98,344 एकड़ भूमि से संबंधित है, विभिन्न स्तरों में लंबित है, जिसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं तकरीबन 15,631 अवैध जमाबन्दी के मामले, जो लगभग 27,179 एकड़ भूमि से संबंधित है, निष्पादित किये गये है।
3.	क्या यह बात सही है कि अन्य राज्य की तरह ही झारखण्ड में इस आशय का निर्णय लेने से राज्य में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा के साथ–साथ भू–माफियाओं के कार्यशैली पर रोक लगने के साथ सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी ;	अन्य राज्यों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में की जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित एवं राज्यहित में खण्ड–1 में वर्णित प्राधिकारों की तर्ज पर राज्य के लोगों को भी सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध कराने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–08 / तारां० / 01 / 2023 न०वि०आ० 835 राँची, दिनांक– 28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–343 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23
सरकार के अवर सचिव।

58

श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–02 का उत्तरः–

क्र.	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में 9 नगर निगम एवं 20 नगर परिषद् है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सभी नगर निगम एवं नगर परिषद् में लगभग 15,000 (पन्द्रह हजार) दैनिक कर्मी पिछले 22 वर्षों से कार्यरत है;	आंशिक स्वीकारात्मक। शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के 9 नगर निगम एवं 20 नगर परिषद् में कुल 39 दैनिक कर्मी 22 वर्षों से कार्यरत है।
3	क्या यह बात सही है कि कार्यरत कर्मियों के द्वारा कई बार नियोजन एवं विभिन्न मांगों को लेकर राज्यस्तरीय हड़ताल किया गया तथा विभागीय ज्ञापंक–01/विविध(हड़ताल)–41/2016 न०वि०आ० 3420 राँची, दिनांक–27.09.2022 के द्वारा हड़ताल कर्मियों के साथ कई बिन्दुओं पर सरकार के स्तर पर समझौता भी हुआ,	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर निगम एवं नगर परिषद में कार्यरत दैनिक कर्मियों को नियमित करने एवं उपर्युक्त समझौता के सभी बिन्दुओ का अनुपालन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितिकरण हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०–1348 दिनांक–13.02.2015 द्वारा नियमावली अधिसूचित है। उक्त नियमावली के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०–3342 दिनांक–10.09.2015 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत योग्य कर्मियों के नियमितिकरण हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में समिति गठित है। उक्त समिति द्वारा योग्य कर्मियों की सेवा नियमितिकरण हेतु अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। उक्त समिति से योग्य कर्मियों की अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त नियमावली के आलोक में अनुशंसित उम्मीदवारों के नियमितिकरण के संबंध में प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति के उपरांत मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। समझौते के अन्य बिन्दुओं पर विभाग स्तर से नियमों के आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–01/वि०मं०प्र०–01/2023 न०वि०आ० 818 राँची, दिनांक 27/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–संख्या–121 वि०स० दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2023
सरकार के अवर सचिव।

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–03 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा निविदा में बरती गई अनियमितता सिद्ध होने के बावजूद नगर विकास विभाग, राँची के पत्रांक–1/आरोप 15/2022/न०वि०आ०/3848 (अनु०) दिनांक–09.11.2022 के आलोक में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	गोड्डा नगर परिषद कार्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा संख्या–UDD/NPG/01/2022-23 and UDD/NPG/02/2022-23 को उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–1887/गो०, दिनांक–05.09.2022 के आलोक में जाचोपरांत उपायुक्त, गोड्डा के आदेश पत्रांक–2032/गो०, दिनांक–12.10.2022 के आलोक में निविदा को रद्द की गयी है। निविदा रद्द हो जाने के कारण संवेदक मेसर्स Sharp Infotech, Godda के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में न्याय निर्णय हेतु याचिका संख्या–W.P. (C) No. 5343 of 2022 M/s Sharp InfoTech versus The State of Jharkhand & ors दायर किया गया है। याचिका में कार्यालय द्वारा दिनांक–17.11.2022 को प्रतिशपथ पत्र दायर की गयी है (ऑथ नं०–29561), जो विचाराधीन है
2.	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार निविदा के कागजात में अनियमितता बरतने वाले संवेदक और निविदा निस्तारण समिति पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 में यथा अंकित द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–01/वि०मं०प्र०–02/2023 न०वि०आ०.....819..... राँची, दिनांक–27/02/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०प्र०–123/वि०स० दिनांक–21.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

सरकार के अवर सचिव।

60

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पंचा–03 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड कमशः साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल एवं उधवा में 15 वें वित्त आयोग से मिली राशि से पंचायत समितियों द्वारा मात्र 28 प्रतिशत ही राशि खर्च की गई;	अस्वीकारात्मक। 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल एवं उधवा पंचायत समिति को विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय प्रतिशत कमशः 90%, 89% एवं 77% है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) में वर्णित वित्त आयोग से राज्य में पंचायती राज स्तर के जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत को मिली राशि के विरूद्ध मात्र 36 प्रतिशत राशि विकास योजनाओं में खर्च हो पायी है;	अस्वीकारात्मक। 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतो को विमुक्त कुल राशि 2938 करौड़ रू0 के विरूद्ध 2445.80 करोड़ रू0 (83%) का व्यय इ–ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रतिवेदित है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार 15 वें वित्त आयोग से मिली राशि से ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज स्तर के विभिन्न माध्यमों से योजनाओं को ससमय पुरा कराने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं मे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–15 / 2023–423–/, राँची, दिनांकः–28.2.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 272 दिनांक 23.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–15 / 2023–423–/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–15 / 2023–423–/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल / 22.02.2023

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम– 15 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी तरह का मासिक वेतन/मानदेय नहीं मिलता है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली, 2011 तथा झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (संशोधन) 2015 में किये गये प्रवधानों के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु मानदेय निर्धारित है। उक्त के आलोक में सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को राशि आवंटित की जाती है।
(2) क्या यह बात सही है कि वेतन/मानदेय के मांग की निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर मांग की जाती है;	अस्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार त्रिस्तरीय चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों को मासिक वेतन/मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–18/2023––––422––––––/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 326 दिनांक 23.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–18/2023––––422––––––/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–18/2023––––422––––––/, राँची, दिनांकः–28.02.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं-आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-2-23

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/27.02.2023
E:/Anil Office work/Assembly related/Assembly questin Answer.doc

(63)

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–19" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि सारठ से देवघर तक एन0एच0–114ए0 पथ स्वीकृत है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का कार्य सारठ बाजार में एवं अजय नदी एवं पतरी नदी पुल सहीत कार्य बन्द पड़ा हुआ है ; 3. क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिकारी संवेदक के लापरवाही से अधूरे कार्य से रोज दुर्घटना हो रही है; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या – 114 ए है। जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। उल्लेखित स्थलों पर भू–अर्जन के कारण वर्तमान में कार्य बंद है। भू–अर्जन की राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। जिसके पश्चात् उल्लेखित स्थलों पर कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। मान्नीय सदस्य की भावना के मद्देनजर भू–अर्जन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु उपायुक्त, देवघर से अनुरोध किया गया है।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–18 / 2023(बजट) सत्र 1028(S) राँची / दिनांक 27/04/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–342, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–18 / 2023 (बजट) सत्र 1028(S) राँची / दिनांक : 27/04/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–18 / 2023 (बजट) सत्र 1028(S) राँची / दिनांक 27/04/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली / मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–21" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह से मंडल तक पथ निर्माण से पलामू, भण्डरिया एवं छत्तीसगढ़ जिला आवागमन में सुविधा होगी साथ ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस प्रशासन को भी उग्रवाद के संधारण में सहायक सिद्ध होगी ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ का निर्माण डी0पी0आर0 का सृजन भी कराया गया है, जिस पर मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग का तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित पथ का निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यह पथ जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ है। अग्रिम योजना के तहत पथ का डी0पी0आर0 तैयार करवाया गया है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–19/2023(बजट) सत्र 1026(S) राँची/दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–338, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–19/2023 (बजट) सत्र 1026(S) राँची/दिनांक 27/07/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–19/2023 (बजट) सत्र 1026(S) राँची/दिनांक 27/07/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(65)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य झारखण्ड विधानसभा द्वारा दि०–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–05 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 में चाकुलिया नगर पंचायत का गठन के पश्चात् नगर पंचायत क्षेत्र के हर वार्ड, गली व बाजार क्षेत्र में (वेस्ट) पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नाली का निर्माण तो हो गया पर सिवरेज की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदा पानी रोड–रास्ते पर बहने लगता है तथा बरसात में सारी नाली का कचड़ा रोड पर आ जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि चाकुलिया नगर पंचायत अंतर्गत कुछ स्थानों पर किसी निजी अथवा परती जमीन पर जल जमाव के साथ–साथ एक से दो स्थानों पर कभी–कभी रोड पर भी नाले का पानी आने की घटना सामने आती रहती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उद्धृत नगर पंचायत में पानी निकासी हेतु उचित प्रबंधन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	चाकुलिया नगर पंचायत का गठन के पश्चात् नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी वार्डो, गलियों व बाजार क्षेत्र में वेस्ट पानी निकासी हेतु नाली निर्माण कराया गया है। उपर्युक्त कंडिका–02 में वर्णित स्थानों में उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए नगर पंचायत द्वारा मैनुअल लेवर के साथ–साथ सक्सन मशीन एवं जेटिंग मशीन का प्रयोग करते हुए इसका निदान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / वि०मं०प्र०(ता०)–03 / 2023 / न०वि०आ०– 836 दि०– 28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–308 / वि०स०, दिनांक–23.02.2023 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

सरकार के अवर सचिव।

67

श्री केदार हजरा, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–01" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ विधान–सभा क्षेत्र के छोटकी खड़कडीहा से चतरो भाया लतकी पथ के लताकी में उसरी नदी पर बना पुल टूट गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में निहित प्रश्न के पथ में उसरी नदी पर बनाऐ गए पुल टूट जाने के कारण स्थानीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लताकी के उसरी नदी पर नया पुल बनाकर आवागमन सुलभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पुल, पथ निर्माण विभाग की पथ, छोटकी–खरगडीहा–दुधवाटोली–गोण्दलीटांड लताकी चतरो मिर्जागंज पथ (MDR-92), जिसकी कुल लं0– 34.80 कि0मी0 के 12वें कि0मी0 में अवस्थित उच्च स्तरीय सेतु क्षतिग्रस्त हो गया है। नये पुल निर्माण हेतु DPR तैयार कराया जा रहा है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कराया जा सकेगा।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–01 / 2023 (बजट) सत्र 1023(5) राँची / दिनांक: 27/02/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–173, दिनांक–21.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–01 / 2023 (बजट) सत्र 1023(5) राँची / दिनांक: 27/02/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–01 / 2023 (बजट) सत्र 1023(5) राँची / दिनांक 27/02/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली / मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

68

दिनांक–01.03.2023 को माननीय स०वि०स० श्री दिनेश विलियम मराण्डी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–25 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री दिनेश विलियम मराण्डी, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के हिरणपुर प्रखण्ड में शिवनगर से रामनाथपुर तक कोई सड़क नहीं है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि यह सड़क बन जाने से 6 पंचायतों की दूरी प्रखण्ड मुख्यालय से 7 कि0मी0 कम हो जायेगी;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि सड़क एवं शिवनगर नदी पर पुल के निर्माण से प्रखण्ड मुख्यालय से 6 पंचायतों की दूरी 7 कि0मी0 कम हो जायेगी;	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उक्त सड़क एवं पुल का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में मा0स0वि0स0 के अनुशंसा के आलोक में कुल सात पथों, जिनकी लंबाई–22.753 कि0मी0 है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0स0वि0स0 से प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथ एवं पुल की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–242/2023 ग्रा0का0वि0.....662.....राँची/दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–331, दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–242/2023 ग्रा0का0वि0.....662.....राँची/दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–242/2023 ग्रा0का0वि0.....662.....राँची/दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(69)

श्री रणधीर कुमार सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–18" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि सारठ विधान–सभा क्षेत्र के अन्दर स्वीकृत पथ निर्माण बराटाँड मोड़ से कुरवा रंगामटिया पालाजोरी ब्रिज निर्माण सहीत स्वीकृत है ; 2. क्या यह बात सही है कि विभाग एवं संवेदक भुपेडा सिन्हा जवेटं मेयर के द्वारा 24.03.2020 को उक्त कार्य समाप्ति के अवधि से आज तक उक्त कार्य को अधुरा छोड़ दिया गया है ; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के अधुरा रहने से रोज आम जन दुर्घटना का शिकार हो रहे है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त संवेदक को डिवार घोषित कर उक्त पथ का दोबारा निविदा निकालकर कार्य पुरा कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, बड़ाटांड़ मोड़ – कुरवा –रंगमटिया –पालाजोरी (लम्बाई – 25.594 कि0मी0) पथ निर्माण विभाग की पथ है। जिसके चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण कार्य की परियोजना हेतु वर्ष 2018 में रू0 7452.90 लाख की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य के निमित्त दिनांक – 25.09.2018 को संवेदक, भूपेन्द्र–सिन्हा, ज्वांईट वेंचर कम्पनी के साथ एकरारनामा किया गया है, जिसके अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि दिनांक –24.03.2020 निर्धारित है। अबतक मात्र 40 % भौतिक प्रगति हासिल की गई है। परियोजना में हुई विलम्ब की जांच मुख्य अभियंता (याता0) स्तर से कराकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–17/2023(बजट) सत्र 1024(5) राँची/दिनांक 27/07/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–340, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–17/2023 (बजट) सत्र 1024(5) राँची/दिनांक 27/07/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–17/2023 (बजट) सत्र 1024(5) राँची/दिनांक 27/07/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/श्री मेराज अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

70

श्री ढ़ूलू महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न0–08 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अपार्टमेन्ट के निर्माण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं नियमावली बनाई गई है;	झारखंड भवन उपविधि, 2016 यथा संशोधित अधिसूचित है।
2	क्या यह बात सही है कि नगर विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की आड़ में बिल्डर नियम विरूद्ध बड़े–बड़े अपार्टमेन्ट का निर्माण कर रहे है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अनेक खामियों के बावजूद विभाग द्वारा उन निर्माण को अनापत्ति दे दिया जाता है, जिससे बड़ी दुर्घटनाएँ होने की संभावना बनी रहती है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियम विरूद्ध निर्माण को अनापत्ति देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा नगर विकास विभाग के नियमों को सख्ती से अनुपालन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अधिनियम/नियमावली के विरूद्ध कार्य करने पर दंडित किए जाने की कार्रवाई स्थापित विधि सम्मत की जाती है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05/वि0स0 (तारांकित)–04/2023/न0वि0आ0 838 **राँची, दिनांक–** 28/02/23

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा0सं0प्र0–275, दि०–23.02.2023 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23
सरकार के अवर सचिव

(71)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–18

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के ग्राम+पंचायत–खरकी के छपरवा नाला पर पुल का निर्माण नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त नाला पर पुल नहीं होने से बरसात के दिनों में खरकी के ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित छपरवा नाला पर पुल निर्माण कराने के विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में माननीय स0वि0स0 के अनुशंसा के आलोक में कुल 03 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं एक अन्य पुल निर्माण योजना का डी0पी0आर0 तैयार कराया जा चुका है। माननीय स0वि0स0 द्वारा प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा की गई है, जिसके आलोक में उक्त योजना का डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–34 / 2023 / ग्रा0का0वि0 665 राँची, दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–330 वि0स0 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन कुल 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–34 / 2023 / ग्रा0का0वि0 665 राँची, दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–34 / 2023 / ग्रा0का0वि0 665 राँची, दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(72)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–01

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि तमाड़ प्रखण्ड के काँची नदी पर वर्ष–2014 में हाराडीह एवं बामलाडीह पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया था जो करीबन दो वर्ष पूर्व बारिश में ध्वस्त हो गई ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि 2 वर्ष में अबतक विभाग इसकी जाँच को पूरा नहीं कर पाई है और न ही उक्त पुलों के पुनर्निर्माण कार्य को करवा पाई है, जिससे विभाग की कर्तव्यनिष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1.काँची नदी पर बामलाडीह पुल के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रांची को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। 2.काँची नदी पर हाराडीह में क्षतिग्रस्त पुल का जांच प्रतिवेदन अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रश्नांकित पुल निर्माण कार्य में संलग्न दोषी अभियंताओं के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निर्देश अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, रांची को दिया गया है। आरोप पत्र प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा जायेगी। साथ ही पुल निर्माण कार्य में संलग्न संवेदक से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार विभाग सम्बंधित मामले की जाँच कर दोनों पुलों के पुनर्निर्माण करवाने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–02 में दोषियों पर कार्रवाई के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। दोनों पुलों के मरम्मति हेतु प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता को निर्देश दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–20/2023/ग्रा0का0वि0 623 राँची, दिनांक– 25-02-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–27 वि0स0 दिनांक–15.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–20/2023/ग्रा0का0वि0 623 राँची, दिनांक– 25-02-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–20/2023/ग्रा0का0वि0 623 राँची, दिनांक– 25-02-2023

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव

दिनांक–01.03.2023 को मा0स0वि0स0 श्री दशरथ गागराई द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	मा0स0वि0स0 श्री दशरथ गागराई	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	**उत्तर**
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला खरसॉवा जिला में एन0आर0ई0पी0 क्रियाशील (Functional) नहीं है एवं वर्त्तमान में इसका कार्यालय भी संचालित नहीं है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित एजेंसी के क्रियाशील (Functional) नहीं होने से विकास संबंधी योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;	राज्य में कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 के कुल चौदह (14) पद सृजित है, जिसमें कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, सरायकेला का पद शामिल नहीं है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरायकेला खरसॉवा जिला में एन0आर ई0पी0 को विकास संबंधी योजनाओं के लिए कार्यकारी ऐजेंसी के रूप में चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–256 / 2023 ग्रा0का0वि0 671 राँची दिनांक– 28–02–2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–325 वि0स0, दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–256 / 2023 ग्रा0का0वि0 671 राँची दिनांक– 28–02–2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–05(वि0स0–12)–256 / 2023 ग्रा0का0वि0 671 राँची दिनांक– 28–02–2023

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–06 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्रमुख सड़कों, महत्वपूर्ण चौक–चौराहों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था सुरक्षा के दृष्टि से अत्यावश्यक है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के चंपापुर चौक, करमदाहा मोड़, नारायणपुर मोड, मुरली पहाड़ी मोड़, ईदगाह मोड, सुख जोड़ा सिद्धू कान्हू चौक एवं गोराईनाला चौक पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला के चंपापुर चौक, करमदाहा मोड़, नारायणपुर मोड में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। ईदगाह मोड, सुख जोड़ा सिद्धू कान्हू चौक एवं गोराईनाला चौक पर प्रकाश की व्यवस्था है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उपर्युक्त स्थलों पर हाई मास्ट लाईट लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / तारांकित–06 / 2023 / न०वि०आ० 358 राँची, दिनांक– 28/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–277 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23
सरकार के अवर सचिव।

दिनांक–01.03.2023 को माननीय स०वि०स० श्री दिनेश विलियम मराण्डी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–22 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री दिनेश विलियम मराण्डी, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गोपीकान्दर प्रखण्ड में अमरपानी से बॉसपहाड़ तक आवागमन के लिए सड़क उपलब्ध नहीं है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के जनजातियों को अत्यंत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण हो जाने से यहाँ के आदिम जनजातियों को भी लाभ होगा,	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2022–23 में मा0स0वि0स0 के अनुशंसा के आलोक में कुल सात पथों, जिनकी लंबाई–22.753 कि0मी0 है, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0स0वि0स0 से प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रश्नाधीन पथ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–241/2023 ग्रा0का0वि0......657......राँची/दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–334, दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–241/2023 ग्रा0का0वि0......657......राँची/दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–241/2023 ग्रा0का0वि0......657......राँची/दिनांक–28-02-2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(76)

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को सदन में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–02 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड में भवन निर्माण कॉरपोरेशन विभाग के द्वारा वर्ष–2018 में चंदवारा स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–609 नि0 दिनाक–24.02.2023 के द्वारा प्रतिवेदित है कि झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कोडरमा जिलान्तर्गत चंदवारा प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य दिनांक–02.08.2019 को प्रारम्भ किया गया तथा दिनांक–13.04.2022 को पूर्ण करा दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि भवन के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है;	अस्वीकारात्मक। विषयांकित योजना की जाँच Third Party Quality Control Consultant M/S Wapcos Ltd. है, के (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा कराई गई है। जाँचोपरांत कुछ त्रूटियाँ पायी गयी थी जिसका निराकरण करा दिया गया है। (जाँच प्रतिवेदन संलग्न)।
3.	क्या यह बात सही है कि आज तक संवेदक के द्वारा विभाग को हस्तांतरण नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। उल्लेखित योजना दिनांक–13.04.2022 को पूर्ण कर दिनांक–10.10.2022 को सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कोडरमा को हस्तगत करा दी गई है। (भवन हस्तांतरण पत्र की छायाप्रति संलग्न)
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांच कर संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक नही तो क्यों?	–

27.02.23
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः– प्र0–03–विधायी–(ता0प्र0–भ0–02)–04 / 23भ0नि0 679(भ) राँची, दिनांकः– 27-2-23

प्रतिलिपिः–श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–274 वि0स0 दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.23
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

77

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कोचे मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत रनिया प्रखण्ड के सोदे बाजरटांड़ से नाराहातु जामुन मोड़ तक करीब 04 कि0मी0 सड़क जर्जर एवं दयनीय स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के जर्जर होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को आने–जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–7 पथों (कुल लम्बाई–26.955 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नाधीन पथ के विशेष मरम्मति हेतु प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, राँची के कार्यालय में तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित है। तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–227 / 2023 ग्रा0का0वि0.....637.....राँची, दिनांक.27-02-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–124 दिनांक–21.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–227 / 2023 ग्रा0का0वि0.....637.....राँची, दिनांक.27-02-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–227 / 2023 ग्रा0का0वि0.....637.....राँची, दिनांक.27-02-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री भानु प्रताप शाही, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–"पथ–02" का उत्तर प्रतिवेदन :– 78

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा NH-75 खुजरी से बिलडमगंज तक पथ चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि पथ चौड़ीकरण कार्य में जा रहे रैयतों के जमीन का उचित मुआवजा बाजारी दर के चार गुणा दर से नहीं देकर सरकारी दर से दिया जा रहा है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पथ चौड़ीकरण में जा रहे रैयतों के जमीन का मुआवजा की राशि बाजार दर के चार गुणा दर से देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–75 है। जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की संपत्ति है। जो वर्तमान में NHAI के अधीन है। प्रश्नगत सन्दर्भ में NHAI से निम्न उत्तर प्राप्त है :– वर्णित पथ चौड़ीकरण कार्य में जा रहे रैयतों के जमीन का उचित मुआवजा भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा RTFCTLARR, 2013 के तहत शहरी क्षेत्र का दुगुना एवं ग्रामीण क्षेत्र का चार गुणा दर से भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया भारत के राजपत्र दिनांक 27.09.2013 के क्रम संख्या 26(I) में वर्णित किया गया है, वह इस प्रकार है :– 1. The market value, if any, specified in the Indian Stamp Act, 1899 for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be in the area, where the land is situated; 2. The average sale price for similar type of land situated in the nearest village or nearest vicinity area.

ज्ञापांकः प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2023 (बजट) सत्र 1018(S) राँची/दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–174, दिनांक–21.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2023 (बजट) सत्र 1019(S) राँची/दिनांक 27/02/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प०नि०वि०–11–ता०प्र०–02/2023 (बजट) सत्र 1019(S) राँची/दिनांक 27/02/23

प्रतिलिपिः– मो० कौसर अली/मो० मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के बिजुलिया से डुमरदाह सीधाबाद तक की सड़क विगत कई वर्षो से जर्जर है, जिस कारण अक्सर इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के बिजुलिया से डुमरदाह सीधाबाद तक की सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सड़क का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष–2022–23 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मा0स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कुल–6 पथों (कुल लम्बाई–25.810 कि0मी0) एवं चंदनकियारी प्रखण्ड में विशेष मरम्मति अंतर्गत कुल–4 पथों (कुल लम्बाई–25.50 कि0मी0) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पूर्व में निर्मित ग्रामीण पथों की मरम्मति/विशेष मरम्मति हेतु विभागीय नीति संसूचित है। उक्त के आलोक में चरणबद्ध तरीके से अर्हक पथों का चयन करते हुए विशेष मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने का अनुरोध सभी संबंधित अभियंताओं से किया गया है। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत डी0पी0आर0 प्राप्त होने के उपरांत बजटीय उपबंध के आलोक में संबंधित पथों की मरम्मति की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–208/2023 ग्रा0का0वि0 663 राँची, दिनांक 28-02-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–28 दिनांक–15.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/23
(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–208/2023 ग्रा0का0वि0 663 राँची, दिनांक 28-02-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–208/2023 ग्रा0का0वि0 663 राँची, दिनांक 28-02-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स०, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ~~गाम्ब~~ 08 का उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता – श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स०वि०स०, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तरदाता – श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या यह बात सही है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण ईलाकों की कच्ची सड़को का निर्माण व मरम्मति का कार्य मिट्टी–मुरम पथ योजना से कराया जाता था;	स्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि लगभग छः वर्ष पूर्व उक्त अति जनोपयोगी तथा कारगर योजना के बंद हो जाने से क्षेत्रों की कच्ची सड़कों की मरम्मति व निर्माण का कार्य पूरी तरह से ठप है;	अस्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि मिट्टी मुरम पथ योजना से ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजन होते थे,	स्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित योजना को पुनः प्रारम्भ करने की दिशा में पहल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं हो क्यों?	महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमान्य कार्य सूची के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। जिसके अनुरूप मिट्टी मोरम पथ का क्रियान्वयन किया जाता है। विगत पाँच वर्षो में MGNREGASoft में परिलक्षित विवरणी के अनुरूप मनरेगा अन्तर्गत कुल 8801 मिट्टी मोरम पथ की योजना वर्तमान में निर्माणाधीन है तथा अबतक कुल 6356 योजनाएँ पूर्ण कर ली गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक –13–051 / विधान सभा / 2023 / ग्रा०वि० (N) 315 राँची, दिनांक 28-2-23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० – 130 / वि०स० दिनांक 21.02.2023 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2023
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –13–051 / विधान सभा / 2023 / ग्रा०वि० (N) 315 राँची, दिनांक 28-2-23

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / अवर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –13–051 / विधान सभा / 2023 / ग्रा०वि० (N) 315 राँची, दिनांक 28-2-23

प्रतिलिपि – श्री रंजीत रंजन प्रसाद, संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव।

81

श्री जिगा सुसारन होरो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–08" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत सिसई प्रखंड के सिसई कुम्हार मोड़ से लोहंजारा मोड़ से लोहंजारा सहिजाना होते हुए घाघरा तक पथ (लं0–36 कि0मी0) का निर्माण Financial year 2015-16 में State Highway Authority of Jharkhand (SHAJ) द्वारा करवाया गया था ; 2. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित पथ के निर्माण के क्रम में रैयतों से लिया गया जमीन का मुआवजा का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–2 में वर्णित मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ का नाम–सिसई (कुम्हार टोली मोड़ NH-23 पर) – घाघरा पथ (SH-08 पर) भाया सहेजना, कुरडेग–कुर्गी पथ (लम्बाई– 35.10 कि0मी0) है, जो पथ निर्माण विभाग की पथ है। वर्ष 2015 में उक्त पथ का अधिग्रहण ग्रामीण कार्य विभाग से करते हुए SHAJ (State Highway Authority of Jharkhand) के माध्यम से पथ का पुनर्निर्माण कार्य कराया गया है। पथ निर्माण का कार्य उपलब्ध भूमि पर किया गया है। पूर्व में BPDP (बिहार पठारी विकास योजना) द्वारा इस पथ में भू–अर्जन का कार्य किया गया है। इस संबंध में झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार, राँची के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला से BPDP (बिहार पठारी विकास योजना) अंतर्गत अर्जित भूमि के बारे में पृच्छा की गई है एवं जिसके निमित्त सदस्य (तकनीकी), SHAJ कार्यालय के पत्रांक–530 (अनु0), दिनांक–17.11.2021 द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला से अनुरोध किया गया है। उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। मान्नीय सदस्य की भावना के मद्देनजर उक्त के त्वरित समाधान हेतु उपायुक्त, गुमला से अनुरोध किया गया है।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–08 / 2023(बजट) सत्र 1018(S) राँची / दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–306, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–08 / 2023 (बजट) सत्र 1018(S) राँची / दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–08 / 2023 (बजट) सत्र 1018(S) राँची / दिनांक : 27/02/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली / मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

82

डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–16" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधान–सभा अन्तर्गत 1. गंझुडीह से हुरलुगं, 2–ललपनिया से रजरप्पा, 3– मकोली टुंगरी से रजप्पा, 4–बगीयारी मोड़ भाया मधुकरपुर आरेमो पथ होते हुए दांतु तक 5– हिसीम चौक से डाभातु तक पथों का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। जिससे आम जनता को आने–जाने में असुविधा हो रही है ; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उपर्युक्त पथों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए पथ निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत सभी पाँचों पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–16/2023(बजट) सत्र 1027(S) राँची/दिनांक 27/07/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–341, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 27/7

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–16/2023 (बजट) सत्र 1027(S) राँची/दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनील 27/7

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–16/2023 (बजट) सत्र 1027(S) राँची/दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनील 27/7

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(83)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी विधानसभा अधिवेशन में दिनांकः 01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न ग्राम–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे किसानों तथा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की महात्वाकांक्षी महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) लागू है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम) मुख्यतः ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों, जो अकुशल मजदूरी के लिए तैयार हों, को अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लागू है।
2.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत संबंधित पदाधिकारियों बी०डी०ओ०, अभियंताओं, बी०पी०ओ०, रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिव की मिलीभगत से बिना कार्य कराये राशि निकासी कर बंदरबाँट कर लिया गया है तथा धरातल पर कार्य नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक है। इस प्रकार का कोई विशिष्ट (Specific) मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि विष्णुगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों में एक ही कार्य योजना को कई बार दिखाकर राशि निकासी की गयी है तथा मापी पुस्तिका का भी संधारण नहीं किया गया है, जो घोर अनियमितता का द्योतक है,	अस्वीकारात्मक है। इस प्रकार का कोई विशिष्ट (Specific) मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हजारीबाग जिलान्तर्गत बिष्णुगढ़ प्रखण्ड में वर्ष 2019–20 से लेकर आज तक किये गये मनरेगा योजना के सभी कार्यो को उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए विकास कार्य को सुचारू रूप से किसान मजदूरों के हित में कार्य सम्पादन कराने के विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–02/आरोप (वि०स०प्र०/हजारीबाग)–31/2023 922, /राँची, दिनांक–28.02.2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांकः 324/वि०स० दिनांकः 23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023

(शैल प्रभा कुजूर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–02/आरोप (वि०स०प्र०/हजारीबाग)–31/2023/ 922, /राँची, दिनांक–28.02.2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–02/आरोप (वि०स०प्र०/हजारीबाग)–31/2023/ 922, /राँची, दिनांक– 28.02.2023

प्रतिलिपि :– विधायी शाखा (प्रशाखा–03), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को विषयगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री ढुलू महतो, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–12" का उत्तर प्रतिवेदन :–

84

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद गया पुल से बैंकमोड़ को जोड़ने वाली सड़क तक फ्लाई ओवर धनबाद जिला मुख्यालय को बोकारो, राँची सहित राज्य के दक्षिणी हिस्सों एवं प0 बंगाल से जोड़ने का एक प्रमुख मार्ग है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त फ्लाई ओवर की स्थिति काफी जर्जर है एवं जिला प्रशासन द्वारा इसका मरम्मति का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उल्लिखित फ्लाई ओवर की मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पुल यथा धनबाद बैंकमोड़ फ्लाईओवर का निर्माण वर्ष 1972 में हुआ है, जिसकी संरचना (Structure) में क्षति होना पाया गया है। जिसके पुनर्वास (Rehabilitation) हेतु परामर्शी (Consultant) बहाल कर DPR तैयार कराया गया है। जिसके निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिसके पश्चात् Rehabilitation कराकर फ्लाईओवर की योग्य अवस्था बहाल कर ली जाएगी।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2023(बजट) सत्र 1014(5) राँची/दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–296, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 27/7

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2023 (बजट) सत्र 1014(5) राँची/दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सुनीत 27/7

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–12/2023 (बजट) सत्र 1014(5) राँची/दिनांक 27/07/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 27/7

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(85)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम–12 का उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता– श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स०, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तरदाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा क्षेत्र सहित राज्य में मनरेगा की योजनाओं में कार्यरत मजदूरों की संख्या वित्तीय वर्ष – 2021–22 की तुलना में 2022–23 में कम हो गई, जिस कारण ग्रामीण योजनाओं के विकास कार्य बाधित हुए है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि मनरेगा अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में 28 हजार से भी अधिक के वित्तीय अनियमिताएँ के मामलें प्रकाश में आए है तथा मानव दिवस सृजन की संख्या घट गई है और राज्य से मजदूरों का पलायन जारी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार मनरेगा मजदूरों के लिए अत्यधिक मानव दिवस सृजन करने नियम समय पर मजदूरी भुगतान करने तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं को ससमय पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	महात्मा गाँधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के तहत् मनरेगा अन्तर्गत निबंधित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उनके काम की मांग के आधार पर मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में कम–से–कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में मनरेगा अन्तर्गत क्रमशः 47 लाख 31 हजार एवं 43 लाख 57 हजार सक्रिय मजदूर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड–19 महामारी के कारण काफी संख्या में निबंधित मजदूर सक्रिय थे तथा प्रवासी मजदूरों को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। वर्तमान में राज्य अन्तर्गत मनरेगा मजदूरों को ससमय मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। ससमय मजदूरी भुगतान में झारखण्ड राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर (99.85%) है। मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु विभिन्न माध्यमों से निरंतर समीक्षा की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 6 लाख 28 हजार योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक –13–047 / विधान सभा / 2023 / ग्रा०वि०(N) 325 राँची, दिनांक 26-2-23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 282 / वि०स० दिनांक 23.02.2023 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2023

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –13–047 / विधान सभा / 2023 / ग्रा०वि० (N) 325 राँची, दिनांक 28-2-23

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / उप सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के संयुक्त सचिव।

(86)

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–07" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के नावा बाजार, विश्रामपुर तथा पाण्डु प्रखंड अंतर्गत ब्रहमोरिया मोड़ से दुर्गामाईन्स होते कजरू–कला ग्राम तक सड़क जाती है ; 2. क्या यह बात सही है उक्त सड़क के आस–पास अनु0ज0जा0 एवं अनुसूचित जाति के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बाहुल्य है, परन्तु आवागमन का साधन नहीं होने के कारण उन्हें भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु सर्वे कराकर प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है, परन्तु निर्माण की दिशा में अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ; 4. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पत्रांक–40000078 दिनांक–10.10.22 द्वारा सचिव, पथ निर्माण विभाग को निदेशित किया है, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ; 5. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–07/2023(बजट) सत्र 1015(S) राँची/दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–298, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–07/2023 (बजट) सत्र 1015(S) राँची/दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–07/2023 (बजट) सत्र 1015(S) राँची/दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली/मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सुनीत 27/2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

87

श्री सोनाराम सिंकू, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–"पथ–26" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि जगन्नाथपुर विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत नोवामुण्डी प्रखण्ड के हाथी चौक बराईबुरू से सलाई तक पी0डब्लू0डी0 पथ की निर्माण कार्य वर्ष 2017 में पूर्ण किया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि गुवा General Office (SAIL RMD) से Nuiya Forest Check Post तक लगभग 2 कि0मी0 पथ का कार्य Agency द्वारा जर्जर अवस्था में अधूरा छोड़ दिया गया है ; 3. क्या यह बात सही है कि छोटे वाहनों, भारी वाहनों एवं आमजनों को जिला मुख्यालय एवं प्रखण्ड मुख्यालय आवागमन में काफी दिक्कत होती है ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में अधूरा पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पथ का नाम गुवा–सलाई पथ (MDR-189) है, जो पथ निर्माण विभाग की पथ है। पथ की लम्बाई – 29.00 कि0मी0 है। पूर्व में पथ के दो खण्डों यथा (1) कि0मी0 2.0 से 11.00 तथा (2) कि0मी0 11.00 से 29.00 को विकसित किया जा चूका है। प्रश्नगत पथांश यथा कि0मी0 0.00 से 2.00 की अवस्था खराब है। जिसके पुनर्निर्माण हेतु DPR का सृजन किया गया है तथा प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिसके पश्चात् कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

ज्ञापांकः प0नि0वि0–11–ता0प्र0–20 / 2023(बजट) सत्र 1025(S) राँची / दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–339, दिनांक–23.02.2023 (बजट) सत्र के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–20 / 2023 (बजट) सत्र 1025(S) राँची / दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–20 / 2023 (बजट) सत्र 1025(S) राँची / दिनांक : 27/07/23

प्रतिलिपिः– मो0 कौसर अली / मो0 मेराज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम०–14 का उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तरदाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या यह बात सही है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में काम करने वाले मजदूरों की संख्या राज्य में 8 लाख थी जो अब घटकर साढ़े तीन लाख हो गयी है;	अस्वीकारात्मक। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष – 2022–23 में सक्रिय मजदूरों की संख्या राज्य में लगभग 45 लाख है।
क्या यह बात सही है कि मनरेगा के तहत पहले ही काम कर चुके मनरेगा मजदूरों का बकाया राशि लम्बे समय से नहीं दी गयी है;	अस्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिक से अधिक जरूरतमन्द मजदूरों को मनरेगा में काम देने एवं उनकी लम्बित बकाया राशि का भुगतान करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में मनरेगा अन्तर्गत मजदूरों का मजदूरी भुगतान ससमय किया जा रहा है तथा ससमय मजदूरी भुगतान में झारखण्ड राज्य पूरे देश में अव्वल है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक –13–048 / विधान सभा / 2023 / ग्रा०वि० (N) 316 राँची, दिनांक 28-2-23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं० – 328 / वि०स० दिनांक 23.02.2023 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2023
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –13–048 / विधान सभा / 2023 / ग्रा०वि० (N) 316 राँची, दिनांक 28-2-23

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव / उप सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार

89

परिवहन विभाग

एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या परि–02 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता *श्री भानु प्रताप शाही,* माननीय स०वि०स०		*उत्तरदाता* *श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री,* परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	*क्या यह बात सही है कि दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राईविंग लाईसेंस का होना अति आवश्यक है;*	–	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राईविंग लाईसेंस का होना अनिवार्य है।
2	*क्या यह बात सही है कि ड्राईविंग लाईसेंस सुलभ तरीके से नहीं बन पाने से आम लोगों को बिना लाईसेंस के वाहन चलाने के कारण फाईन भरना पड़ता है, जिससे लोगों के उपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है;*	–	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड मोटरवाहन नियमावली, 2001 के नियम–3 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी Driving License निर्गत करने हेतु अनुज्ञप्ति पदाधिकारी घोषित है। वर्तमान में Driving License हेतु sarathi.parivahan.gov.in में कहीं से भी Online आवेदन किया जा सकता है। आवेदक को मात्र फोटो, हस्ताक्षर तथा LL/DL Test के लिए Online निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार जिला मुख्यालय आना पड़ता है। Driving License पोस्ट के माध्यम से आवेदक द्वारा दिये गये पते पर भेज दिया जाता है।
3	*यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार अनुमण्डल स्तरीय एक अभियान के तहत् कैम्प लगाकार आम लोगों के लिए ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?"*	–	उपरोक्त कंडिकाओं में अंशिक स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आम लोगों के लिए ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने में सुलभता हेतु प्रखण्ड एवं अनुमण्डल स्तर पर कैम्प लगाकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

27/02/23

सरकार के संयुक्त सचिव

परिवहन विभाग।

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०प्र०)–14/2023 240 /राँची,दिनांक 27.02.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–336, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2023

सरकार के संयुक्त सचिव

परिवहन विभाग।

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 कार्य प्रमण्डल सरायकेला–खरसांवा के अधीन स्वीकृत योजना मरांगहातु–जोबाजंजीर पथ निर्माण को अब तक पूर्ण नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में इस पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर वर्णित पथ निर्माण योजना के प्राक्कलन को revise करते हुए इसे पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन पथ निर्माण कार्य कराये जाने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगाने संबंधी आदेश के कारण निर्माण कार्य एक वर्ष तीन माह विलंबित हो गया फलस्वरूप संवेदक द्वारा कार्य करने में असहमति जताते हुए योजना को बंद करने संबंधी अनुरोध के क्रम में पथ के Foreclosure की कार्रवाई विचाराधीन है। Foreclosure पर निर्णय के पश्चात् प्रश्नगत पथ के निर्माण पर विभागीय नीति/बजटीय उपबंध के आलोक में विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–249/2023 ग्रा0का0वि0.....636.....राँची, दिनांक.27-02-2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–332 दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/23

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–249/2023 ग्रा0का0वि0.....636.....राँची, दिनांक.27-02-2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–249/2023 ग्रा0का0वि0.....636.....राँची, दिनांक.27-02-2023

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

दिनांक–01.03.2023 के लिए श्री मंगल कालिन्दी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–05

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर प्रखण्ड स्थित दलदली पंचायत अन्तर्गत ईटामाडा गाँव जमशेदपुर प्रखण्ड कार्यालय (मुख्यालय) से करीब 45 किलोमीटर दूर अवस्थित है, जिसके कारण दलदली, बेको, बेलाजुड़ी, बडाबांकी, पलासबनी एवं देवघर पंचायत के ग्रामीणों को प्रखण्ड कार्यालय आने–जाने में काफी परेशानी होती है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त खण्ड–1 में वर्णित पंचायत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है, इन पंचायतों में रहने वाले अधिकत्तर ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि कंडिका–1 में वर्णित पंचातयों एवं लुआवासा और हुरलुंग पंचायत को मिलाकर एक नया प्रखण्ड बनाने से जमशेदपुर प्रखण्ड कार्यालय जाने हेतु लंबी दूरी तय कर परेशान नहीं होना पड़ेगा एवं उनके समय के साथ–साथ संसाधनों की बचत होगी।	उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक–256 दिनांक–25.02.2023 के अनुसार प्रश्नाधीन नया प्रखण्ड सृजन हेतु पंचायतों की सख्यां–8 एवं जनसंख्या–46729 है, जो विभागीय संकल्प सं0–5495 दिनांक–16.10.2015 द्वारा प्रखण्ड सृजन की निहित मापदण्ड एवं प्रक्रिया के तहत पंचायत की संख्या कम–से–कम 18 एवं जनसंख्या 1.25 लाख की अर्हता को पूर्ण नहीं करता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कंडिका–1 एवं कंडिका–03 में वर्णित पंचातयों को मिलाकर एक नया प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–4–वि0स0–48/2022/ग्रा0वि0 924, राँची, दिनांक–28.02.2023
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–283 दिनांक–23.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–48/2022/ग्रा0वि0 924. राँची, दिनांक–28.02.2023
प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–4–वि0स0–48/2022/ग्रा0वि0 924, राँची, दिनांक–28.02.2023
प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2023
सरकार के अवर सचिव।

डॉ नीरा यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–01 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अंतर्गत विभिन्न नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों अंतर्गत आनेवाले आवास व मकानों से वर्तमान में होल्डिंग टैक्स नहीं जमा हो रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–20.10.2022 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में राज्य के चार नगर निकायों यथा–मानगो, जुगसलाई, झुमरीतिलैया एवं डोमचांच में हुई होल्डिंग टैक्स वृद्धि की समीक्षा के लिए निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने तथा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक उन निकायों का होल्डिंग टैक्स संग्रहण को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित नगरीय क्षेत्र में सर्किल दर से होल्डिंग टैक्स में सुधार करने संबंधी विभागीय आदेश प्राप्त है;	वस्तुस्थिति यह है कि होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि की समीक्षा कर इसे व्यावहारिक रूप देने हेतु निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अपनी अनुशंसा समर्पित की गई है। समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 (यथा संशोधित) में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियमावली में संशोधन के पश्चात टैक्स संग्रहण की कार्रवाई की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोडरमा जिलान्तर्गत विभिन्न नगर परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले स्थानीय आवासित व्यक्तियों से टैक्स पुरानी दर या सरकार के संशोधित दर पर लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–08/वि०मं०प्र० (तां०)–01/2023/न०वि०आ० 817 राँची, दिनांक– 27/02/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–59 वि०स० दिनांक–20.02.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/23

सरकार के अवर सचिव।

rk_D_2023_Vidhan Sabha _15

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2023 को पूछा जानेवाला 93
तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा विधान सभा क्षेत्र में पथरगामा के रूपचक हॉस्पिटल की स्थिति हस्तांतरण के महज 5 सालों में अत्यंत जर्जर हो गयी हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–602 नि0 दिनांक–24.02.2023 के द्वारा प्रतिवेदित है कि उक्त योजना का निर्माण कार्य संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा वर्ष 2015–16 में किया गया। निर्माण कार्य दिनांक–07.04.2016 को पूर्ण कर दिनांक–30.07.2016 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पथरगामा, गोड्डा को हस्तान्तरित कर दिया गया। (छायाप्रति संलग्न) पथरगामा के रूपचक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तगत होने के पश्चात् 6 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। निर्मित भवन में अस्पताल भी संचालित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रूपचक अस्पताल का जीर्णोद्धार कार्य करते हुए कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं संवेदक पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त योजना के अंतिम विपत्र के भुगतान से पूर्ण WAPCOS Ltd. (भारत सरकार का उपक्रम) से जाँच कराई गई। जाँचोपरांत कुछ त्रुटियाँ पाई गयी जिसका निराकरण करा दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन संलग्न। पथरगामा के रूपचक हॉस्पिटल के भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत अभी तक किसी तरह का जीर्णोद्धार /मरम्मति का कार्य नहीं कराया गया है।

27.02.23
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः– प्र0–03–विधायी–(ता0प्र0–भ0–01)–02 / 23भ0नि0 676(H) राँची, दिनांकः– 27-2-23

प्रतिलिपिः–श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–176 वि0स0 दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-02-23
सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।